"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई 2017 — आषाढ़ 27, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-7/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/3080 रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2017

1. अमित पाण्डेय, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत मल्हार जिला बिलासपुर, छ. ग.
2. हीरासिंग केंवट, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत मल्हार जिला बिलासपुर, छ. ग.

आदेश
(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 11 जुलाई 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत मल्हार जिला बिलासपुर के अध्यक्ष पद के लिये सम्पन्न आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4-1-2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 16-2-2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित जानकारी में नगर पंचायत मल्हार जिला बिलासपुर के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थीगण अमित पाण्डेय एवं हीरासिंग केंवट द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4-1-2015 के पश्चात् दिनांक 4-2-2015 को प्रस्तुत किये निर्वाचन व्यय लेखा को नियत समयावधि में दाखिल करना दर्शाया गया तथा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3-2-2015 अंकित की गई.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थीगण अमित पाण्डेय एवं हीरासिंग केंवट को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचाना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निर्रहित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण को तामील की गई. उक्त कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अभ्यर्थी हीरासिंग केंवट द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में और न ही उसके पश्चात् आज पर्यन्त लिखित जवाब

आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया. अत: यह मानकर कि अभ्यर्थी हीरासिंग केंवट को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

4. अभ्यर्थी अमित पाण्डेय ने कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अपना लिखित जवाब दिनांक 30-11-2016 आयोग कार्यालय में दिनांक 3-12-2016 को प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 4-2-2015 को जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर के कार्यालय में नियत अवधि के अंदर प्रस्तुत किया था जिसकी पावती भी संलग्न की गई. अभ्यर्थी द्वारा पुन: दिनांक 6-12-2016 को आयोग कार्यालय में एक और जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि दिनांक 2-2-2015 को उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विलंब हुआ, अभ्यर्थी द्वारा इस जवाब के साथ चिकित्सक का प्रमाण पत्र भी संलग्न प्रस्तुत किया गया. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर द्वारा पत्र क्रमांक 67/सहा. अधी./स्था. निर्वा./न. पा./व्यय. लेखा./2017, दिनांक 12-5-2017 में अंकित अभिमत में अभ्यर्थी अमित पाण्डेय द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 4-2-2015 को स्वास्थ्यगत कारण से एक दिवस के विलंब से प्रस्तुत करना दर्शाते हुए नियमानुसार कार्रवाई किया जाना प्रतिवेदित किया गया. आयोग द्वारा आहूत किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन में भी दिनांक 2-2-2015 को स्वास्थ्य खराब हो जाने तथा दिनांक 3-2-2015 को बीमारी के कारण कमजोरी महसूस होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 4-2-2015 को जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर के कार्यालय में दाखिल किया जाना दर्शाया गया. अभ्यर्थी द्वारा उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर ने प्रतिवेदन में अभ्यर्थीगण अमित पाण्डेय एवं हीरासिंग केंवट द्वारा दिनांक 4-2-2015 को प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना दर्शाया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**-प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**-अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत मल्हार जिला बिलासपुर के अध्यक्ष पद हेतु सम्पन्न आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थीगण अमित पाण्डेय एवं हीरासिंग केंवट ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित समयसीमा के अंदर अधिसूचित अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया.

6.1 अभ्यर्थी हीरासिंग केंवट ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में लिखित जवाब न तो निर्धारित समयावधि और न ही आज पर्यन्त आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया.

6.2 अभ्यर्थी अमित पाण्डेय द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत जवाब में दिनांक 4-2-2015 को प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा को समयावधि में प्रस्तुति करना उल्लेखित किया तथा बाद में अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में एक और लिखित जवाब मय निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की पावती एवं चिकित्सक के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अभ्यर्थी ने दिनांक 4-2-2015 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख करते हुए विलंब से प्रस्तुति का कारण स्वास्थ्य खराब होना तथा कमजोरी महसूस होना दर्शाया. यदि अभ्यर्थी वास्तव में बीमार था एवं बीमारी की विवशता के कारण निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहा था तो इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने प्रथम जवाब में अवश्य करता क्योंकि विलंब का वही वास्तविक आधार होता, परन्तु अभ्यर्थी ने उक्त जवाब में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन

अधिकारी द्वारा दिये गये अभिमत में भी अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा एक दिन के विलम्ब से दाखिल किये जाने का उल्लेख किया गया है. यदि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य खराब था तो अभ्यर्थी अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से भी निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में जमा करा सकता था. इससे यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा में विलंब का कारण बीमार होना उल्लेखित किया जाना, बाद में विचार कर प्रकरण में कार्रवाई से बचने के लिए तैयार किया गया आधार मात्र है, जिसे सत्य स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है.

6.3 अत: उपरोक्त विवेचना से मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण अमित पाण्डेय एवं हीरासिंग केंवट प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थीगण अमित पाण्डेय एवं हीरासिंग केंवट को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 11 जुलाई, 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.